

राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत अवकाश के लिए आवेदन पत्र का प्रपत्र

1. आवेदक का नाम :
2. पद का नाम :
3. विभाग, कार्यालय और अनुभाग :
4. वेतन :
5. मकान किराया भत्ता, सवारी भत्ता या वर्तमान पद पर प्राप्त अन्य क्षतिपूर्ति भत्ता :
6. आवेदित अवकाश का प्रकार और उसकी अवधि : तथा दिनांक जिससे उसकी आवश्यकता है।
7. रविवार तथा छुटियों यदि कोई हो, उन्हें अवकाश के पहले/वाद में जोड़ने का प्रस्ताव हो :
8. अवकाश के लिए आवेदन का कारण :
9. गत अवकाश से लौटने का दिनांक तथा उक्त अवकाश का प्रकार तथा अवधि :
10. (क) में उपार्जित रूपान्तरित (कम्प्यूटेड) अवकाश : के दौरान प्राप्त किया गया अवकाश वेतन और अद्वैत वेतन अवकाश उस दशा में जबकि राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 93 के उपनियम (ग) के खण्ड (3) के नीचे दिये गये परन्तु 'क' के प्रावधान उक्त अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान सर्विस में मेरे सेवानिवृत होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किये गये हो तो अनुमत नहीं होता कि अवधि में अनुमत वेतन की अन्तर राशि वापस अदा करने का वचन देता हूँ।
(ख) में अवकाश अनुपार्जित जो कि उस दशा में जबकि राजस्थान सर्विस रूल्स नियम 93 (घ) उक्त अवकाश की समाप्ति पर अथवा उसके दौरान सर्विस से मेरे स्वेच्छानुमत सेवा निवृत होने की स्थिति में प्रयुक्त नहीं किया गया होता अनुमत नहीं होगा, कि अवधि में प्राप्त किये गये अवकाश वेतन की वापसी भुगतान करने का वचन देता हूँ।
11. अवकाश काल में रहने का पता :
12. नियन्त्रण अधिकारी की आज्ञा या सिफारिश :

आवेदक के हस्ताक्षर (दिनांक सहित)
पद

अवकाश अनुमत होने संबंधी पत्र

(राजपत्रित अधिकारियों के मामले में महालेखाकार द्वारा)

13. प्रमाणित किया जाता है कि
के अधीन दिनांक से तक का अनुमत है।